

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—85/2021 (2021/375) वादपत्र

अनवान

1. नंगजीराम पिता कालु बलाई निवासी गल्यावड़ी, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. अण्छी पुत्री प्रताप पत्नि भूरा बलाई निवासी कोशीथल, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. अमरी पुत्री प्रताप पत्नि लेहरू बलाई निवासी लाठियाखेड़ी, तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. उगमी पुत्री प्रताप पत्नि रोशन बलाई निवासी पालरां, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. उदा आत्मज कालु बलाई निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. केसर पुत्री कस्तुर पत्नि अनिल बलाई निवासी खाखरमाला तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. किशन आत्मज कस्तुर बलाई निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. खेमा आत्मज देवा बलाई निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. छगनी पुत्री प्रताप पत्नि सुखा बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. मांगी पुत्री कालु पत्नि लालु बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. जमु पत्नि प्रताप बलाई निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. महेन्द्र सिंह —

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 28.09.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 26.04.2022 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम गल्यावड़ी पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 व मृतक खातेदार सरजु पत्नि कस्तुर बलाई के सयुंक्त खातेदारी कृषि कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1468 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 2399/1466 रकबा 0.40 है0, आराजी संख्या 2400/1469 रकबा 0.22 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.87 है0 भूमि में वादी का 1/9 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखा हुआ बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 27.07.2022 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड

ऑफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन



Bx

कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम गल्यावड़ी तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे खाता संख्या 105 में प्रस्तावित आराजी संख्या 2399/1466/2 रकबा 0.0966 है0 भूमि नंगजीराम पुत्र कालु बलाई सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1468 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 2399/1466/1 रकबा 0.3034 है0, आराजी संख्या 2400/1469 रकबा 0.22 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.7734 है0 भूमि अण्ठी पुत्री प्रताप हि0 322/7734, अमरी पुत्री प्रताप हि0 322/7734, उगमी पुत्री प्रताप हि0 322/7734, उदा पुत्र कालु हि0 2900/7734 रहन बीआरकेजीबी शाखा मोखुन्दा, ना.बा. केसर पुत्री कस्तुर सरंक्षक माता सरजु हि0 108/7734, ना.बा. किशन पुत्र कस्तुर सरंक्षक माता सरजु हि0 108/7734, खेमा पुत्र देवा हि0 1934/7734 रहन बीआरकेजीबी शाखा मोखुन्दा, छगनी पुत्री प्रताप हि0 322/7734, जमु पत्नि प्रताब हि0 322/7734, मांगी पुत्री कालु हि0 966/7734, सरजु पत्नि कस्तुर हि0 108/7734 बलाई सा. देह खातेदार के नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला न्यायालय
रायपुर (मीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—85/2021 (2021/375) वादपत्र

अनवान

1. नंगजीराम पिता कालु बलाई निवासी गल्यावड़ी, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. अण्छी पुत्री प्रताप पत्नि भूरा बलाई निवासी कोशीथल, तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. अमरी पुत्री प्रताप पत्नि लेहरू बलाई निवासी लाठियाखेड़ी, तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. उगमी पुत्री प्रताप पत्नि रोशन बलाई निवासी पालरां, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. उदा आत्मज कालु बलाई निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. केसर पुत्री कस्तुर पत्नि अनिल बलाई निवासी खाखरमाला तह. रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. किशन आत्मज कस्तुर बलाई निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. खेमा आत्मज देवा बलाई निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. छगनी पुत्री प्रताप पत्नि सुखा बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. मांगी पुत्री कालु पत्नि लालु बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. जमु पत्नि प्रताप बलाई निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम गल्यावड़ी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 105 में प्रस्तावित आराजी संख्या 2399/1466/2 रकबा 0.0966 है0 भूमि नंगजीराम पुत्र कालु बलाई सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1468 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 2399/1466/1 रकबा 0.3034 है0, आराजी संख्या 2400/1469 रकबा 0.22 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.7734 है0 भूमि अण्छी पुत्री प्रताप हि0 322/7734, अमरी पुत्री प्रताप हि0 322/7734, उगमी पुत्री प्रताप हि0 322/7734, उदा पुत्र कालु हि0 2900/7734 रहन बीआरकेजीबी शाखा मोखुन्दा, ना.बा. केसर पुत्री कस्तुर सरंक्षक माता सरजु हि0 108/7734, ना.बा. किशन पुत्र कस्तुर सरंक्षक माता सरजु हि0 108/7734, खेमा पुत्र देवा हि0 1934/7734 रहन बीआरकेजीबी शाखा मोखुन्दा, छगनी पुत्री प्रताप हि0 322/7734, जमु पत्नि प्रताप हि0 322/7734, मांगी पुत्री कालु हि0 966/7734, सरजु पत्नि कस्तुर हि0 108/7734 बलाई सा. देह खातेदार के नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 28.09.2022 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



(राजेश सुवालका)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
सहायक कलक्टर
रायपुर, जिला भीलवाड़ा